

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या- 17/2025-

दिनांक- 4/1/2025

श्री वाबूलाल पुत्र मांग्या

उपनाम

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई



आदेश :

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पांडेश भू. अ. नि. पांडेश एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशेषा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गुनसीला प. 0 ह. 0 पांडेश की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 162 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	रहन	वाबूलाल पुत्र मांग्या रहन SBI शाखा चौथ का बरवाड़ा	वाबूलाल पुत्र मांग्या रहन SBI शाखा चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सर्वाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री वाबूलाल पुत्र मांग्या
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)